चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2).आज दिनाँक 09.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों एवं उपस्थित पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिसार निरीक्षक को सुधार हेतु निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा

डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,आरटीसी बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑमर्री का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात/कार्यालय श्री यामीन अहमद,प्रतिसार निरीक्षक श्री रामशीष यादव,प्रभारी आरटीसी शिवमूरत यादव,पीआरओ श्री प्रदीप पाल व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(3).आज दिनांक 09.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में,उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार प्रभारी यातायात की उपस्थिति में अमित कुमार श्रीवास्तव डिस्ट्रीक रोलआउट मैनेजर (iRAD/eDAR) एन0आई0सी0 चित्रकूट द्वारा विवेचकों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षक द्वारा बताया गया कि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
कैशलेश ट्रीटमेन्ट ऑफ रोड एक्सीडेन्ट विक्टिम योजना में eDAR पर सड़क दुर्घटना पीड़ितो की फीडिंग) के तहत eDAR पीड़ित की आईडी तुरन्त तैयार किया जा सके जिससे पीड़ितों का इलाज शुरू करने के लिए तुरन्त नाम निर्दिष्ट अस्पताल को उपलब्ध कराया जा सके। eDAR पीड़ित आईडी को तुरन्त तैयार करने के लिए eDAR और मोबाइल एप के इस्तेमाल पर प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्रमुख द्वारा की गयी। भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित मुख्य योजनाओं जैसे राहवीर योजना,कैशलेश ट्रीटमेन्ट आफ रोड एक्सीडेन्ट विक्टिम योजना (सीट्रेव) का क्रियान्वयन किया जाना है। जिसके तहत समस्त विवचकों द्वारा सड़क दुर्घटना की फोटो ग्राफी,वीडियोंग्राफी,मिट्टी सादा/खूनालूदा का संग्रहण,वाहनों के अवशेष,टॉयर मार्क,पेन्ट मार्क के साक्ष्य को एकत्र करना,दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर तकनीकी रिपोर्ट के रिक्वेस्ट के लिए एआरटीओं कार्यालय एवं रोड डिटैल की रिक्वेस्ट हाईवे डिपार्टमेन्ट को प्रेषित की जाती है,एफआईआर यदि समुचित धाराओं में नही है तो दुरूस्तीकरण eDAR के प्रारूप अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही करना, iRAD में विवरण भरना के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया।

(4) 🛑 प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस 🛑

🔶 पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय में अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया 🔶

➡️ दिनाँक-09.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध समीक्षा गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी थाना,चौकी/शाखा प्रभारियों के कार्यो का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

🔴 अपराध समीक्षा गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये:- 🔴

(i). भादवि0 के अपराध तीन वर्षीय तुलनात्मक मासिक/प्रगतिशील विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(ii). अधिनियम के तीन वर्षीय तुलनात्मक विवेचनाओं से सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(iii). प्रचलित अभियानो के सम्वन्ध मे चर्चा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(IV). 03 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(V) हिस्ट्रीशीट खोलने/नष्ट करने हेतु निर्देशित किया।

(VI) भारी संख्या मे लंबित आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर दाखिल करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

(VII). गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्य्रवाही करने हेतु निर्देश ।

(VIII). हत्या/लूट/चोरी/नकबजनी के अनावरण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश ।

(IX). 07 वर्षो से अधिक सजा के अभियोगों के कार्यवाही के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

(x). 363, 366 भादवि0/137(2), 87 बीएनएस के बरामदगी हेतु शेष लम्बित अभियोगों के निस्तारण करने हेतु निर्देश।

(xi). एनसीआर व एफआईआर के आरोप पत्र/अंतिम पत्र दाखिला सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश ।

(xii). आईटीएसएसओ पोर्टल पर प्रदर्शित लम्बित अभियोगों के निस्तारण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश ।

(xiii). थाना स्थानीय पर लंम्बित चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xiv). दर्पण डैसबोर्ड की रैकिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xv). माल निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xvi). सड़क दुर्घटना से सम्वन्धित पुलिस फार्म FAR, IAR, DAR के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xvii)क्राइम अगेस्ट वुमेन पोर्टल में लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव, साइबर/मीडिया सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार राय, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री पंकज तिवारी एवं समस्त थाना,चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहे ।